न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)
(*बइजलास इन्द्राज सिंह आर०ए०एस०*)

वाद संख्या 23 सन् 2019 निर्णय दिनांक 4.3.2020

1. रामकिशन
2. लीलूराम
3. दलीप कुमार } पुत्रगण रणसिंह जाति मेघवाल निवासीगण मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादीगण

बनाम

1. रणसिंह पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादी

2. श्योबाई पुत्री चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– गौण प्रतिवादीनी

उपस्थिति :–

1. श्री उम्मेदसिंह पूनियां अधिवक्ता – वास्ते वादीगण
2. श्री विजय सिंह मीतड़ अधिवक्ता – वास्ते प्रतिवादीगण सं. 1
3. श्री देबूसिंह राठौड़ अधिवक्ता – वास्ते गौण प्रतिवादीनी सं. 2

वाद अंतर्गत धारा 88 आर०टी० एक्ट।

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा वाद घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आर०टी० एक्ट वाद की मद सं. 1 में कुर्सीनामा दर्ज करते हुए पेश कर निवेदन किया कि – कृषि भूमि वर्तमान ख०नं० 75 रकबा 2.00 हैक्टेयर, ख०नं० 77 रकबा 0.37 हैक्टेयर, ख०नं० 86 रकबा 4.41 हैक्टेयर, ख०नं० 193 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै०मु० सड़क, ख०नं० 216 रकबा 4.12 हैक्टेयर, ख०नं० 424 रकबा 5.62 हैक्टेयर, ख०नं० 780/194 रकबा 3.0424 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 19.5824 हैक्टेयर रोही मौजा मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है तथा यही कृषि भूमि विवादित है। वास्ते मुलाहिजा जमाबंदी सम्वत् 2075 – 2078 संलग्न वाद है। पक्षकारों का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है। वादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी तथा गौण प्रतिवादी का संयुक्त हिन्दू परिवार हिन्दू विधि की मिताक्षरा प्रणाली से शासित होता आया है। विवादित कृषि भूमियां पक्षकारों की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी व अविभाजित कृषि भूमि और पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त व

खातेदारी में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में फुला उर्फ फुलिया उसके बाद उसके पुत्र चन्दगीराम उसके बाद उसके पुत्र रणसिंह प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज हुई है। इस समय प्रतिवादी के नाम जो कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है व चली आ रही है। मगर पक्षकारों के संयुक्त परिवार का कर्ता प्रतिवादी होने से उसके अकेले के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है। वादीगण सं. 1 ता 3 प्रतिवादी के पुत्र है तथा गौण प्रतिवादी श्योबाई पुत्री है जिसकी शादी कर दी गई है तथा छुछक भी कर दिये गये है विवादित भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 – 1/4 हिस्से व प्रतिवादी 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार से काबिज चले आ रहे है। जिस कारण वादीगण अपने 1/4 हिस्से की घोषणा करवानें के अधिकारी है। जिसके लिए यह वाद पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी वृद्ध व्यक्ति है तथा वादीगण के अन्य परिवार के व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा वादीगण से प्रतिवादी नाराजगी रखने लगा है तथा प्रतिवादी वादीगण को विवाादित कृषि भूमि में उनके हक हिस्से वंचित करने पर आमादा है और विवाादित सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपने अकेले के खातेदारी अधिकार जताने लगा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वादीगण विवादित कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपनें अपनें नाम से अंकन करवानें के अधिकारी है। वादीगण नें प्रतिवादी को कहा व कहलवाया कि वह विवादित कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रत्येक का स्वीकार कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे मगर प्रतिवादी नें दिनांक 09.01.2019 को ब मुकाम मांगला मेंऐसा माननें से स्पष्ट इंकार कर दिया। अतः यह वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण को तमाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज चले आने से प्राप्त है। आदि आदि।

अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार कर घोषित किया जावे कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 75 रकबा 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 77 रकबा 0.37 हैक्टेयर, ख0नं0 86 रकबा 4.41 हैक्टेयर, ख0नं0 193 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै0मु0 सड़क, ख0नं0 216 रकबा 4.12 हैक्टेयर, ख0नं0 424 रकबा 5.62 हैक्टेयर, ख0नं0 780/194 रकबा 3.0424 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 19.5824 हैक्टेयर रोही मौजा मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू के वादीगण बहिस्सा बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा गौण प्रतिवादी सं. 2 का इसमें कोई हक हिस्सा नही है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 नें अदालत हाजा में जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपति पेश नही की व गोण प्रतिवादीनी सं. 2 नें भी उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

स्वीकार किये जानें में कोई आपति पेश नही की तथा अपना हिस्सा अपने भाईयों वादीगण के हक में घोषित किये जानें में भी कोई आपति नही की तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपने हक में घोषित नही करवानें की इस्तदुआ की। पत्रावली का व पत्रावली में सामिल दस्तावेजात व कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2008(2) पेज 879 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

वादीगण नें अपनें वाद के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2075 – 2078, नामान्तरकरण सं. 617, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2062 – 2081 पेश किए है तथा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबाल दावा पेश वाद डिक्री किया जानें में कोई आपति नही दर्शायी है तथा गोण प्रतिवादीनी सं. 2 नें भी अपना हक हिस्सा त्याग करते हुए वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जानें में कोई आपति नही दर्शाई है।

चूंकि प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह व गौण प्रतिवादीनी सं. 2 श्योबाई के द्वारा वाद का कोई प्रतिरोध नही कर वाद डिक्री किये जानें में कोई आपति नही दर्शायी है इस कारण मैं वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य पाता हूँ।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण बाबत इस्तकरार हक इस कदर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि – विवादित कृषि भूमि ख0नं0 75 रकबा 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 77 रकबा 0.37 हैक्टेयर, ख0नं0 86 रकबा 4.41 हैक्टेयर, ख0नं0 193 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै0मु0 सड़क, ख0नं0 216 रकबा 4.12 हैक्टेयर, ख0नं0 424 रकबा 5.62 हैक्टेयर, ख0नं0 780/194 रकबा 3.0424 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 19.5824 हैक्टेयर रोही मौजा मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू के वादीगण प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा गौण प्रतिवादीनी सं. 2 श्योबाई का उक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)
(बइजलास इन्द्राज सिंह आर0ए0एस0)

वाद संख्या 23 सन् 2019 निर्णय दिनांक 5.3.2020

1. रामकिशन
2. लीलूराम
3. दलीप कुमार पुत्रगण रणसिंह जाति मेघवाल निवासीगण मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– वादीगण

बनाम

1. रणसिंह पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– प्रतिवादी

2. श्योबाई पुत्री चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

– गौण प्रतिवादीनी

उपस्थिति :–

1. श्री उम्मेदसिंह पूनियां अधिवक्ता – वास्ते वादीगण
2. श्री विजय सिंह मीतड़ अधिवक्ता – वास्ते प्रतिवादीगण सं. 1
3. श्री देबूसिंह राठौड़ अधिवक्ता – वास्ते गौण प्रतिवादीनी सं. 2

वाद अंतर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट।

पर्चा डिक्री

दावा वादीगण बाबत इस्तकरार हक इस कदर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि – विवादित कृषि भूमि ख0नं0 75 रकबा 2.00 हैक्टेयर, ख0नं0 77 रकबा 0.37 हैक्टेयर, ख0नं0 86 रकबा 4.41 हैक्टेयर, ख0नं0 193 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै0मु0 सड़क, ख0नं0 216 रकबा 4.12 हैक्टेयर, ख0नं0 424 रकबा 5.62 हैक्टेयर, ख0नं0 780/194 रकबा 3.0424 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल तादादी 19.5824 हैक्टेयर रोही मौजा मांगला तहसील राजगढ़ जिला चूरू के वादीगण प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा के तथा प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा गौण प्रतिवादीनी सं. 2 श्योबाई का उक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

वाप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5.3.2020 को जारी किया गया।